न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 85/2010

सायल :- बनाम गै0सा0 :-

1. बालूराम पुत्र बुद्धाराम
   जाति-कुमावत, निवासी-धनेरिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. सुरा पुत्र बुद्धा
2. जगदीश पुत्र सुरा
   जातियान-कुमावत
   निवासी-धनेरिया
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:. 05/07/2010

उपस्थितः- 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 13/07/2015**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-धनेरिया, तहसील-जैतारण में सायल व गैरसायलान की सामलाती भूमि खसरा नंबर 417 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 316 रकबा 0-05 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 318 रकबा 00-18 बीघा, खसरा नंबर 319 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 320 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 321 रकबा 3-00 बीघा, खसरा नंबर 421 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 423 रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 437 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा की आई हुई हैं। नकल जमाबन्दी के साथ पेश की हैं। उक्त खसरा नंबर की जमीन में सायल का 1/3 हिस्सा आता हैं। सायल उसके हिस्से अनुसार जमीन में काश्त करता हैं तथा उक्त जमीन में गैरमुमकिन बेरा इमरतिया जिसमें सायल का रहवास है तथा उक्त बेरा पर सायल का अलग से इंजन लगा हुआ हैं। जिसमें अन्य गै0सा0 सुरा व कचरु का भी अलग इंजन लगा हुआ हैं। सायल अपने हिस्सेनुसार बेरे की पिलाई इंजन से करते है लेकिन गैरसायलान सायल को उक्त बेरे से इंजन से पानी नहीं निकालने दे रहे हैं तथा लडाई टण्टा करते हैं। जबकि गैरसायलान को सायल अपने हिस्से में पानी निकाले, तो कोई रोकटोक करने का कानूनी अधिकार नहीं हैं। सायल अकेला है तथा गैरसायलान संख्या व ताकत में ज्यादा हैं। सायल को अपने हिस्सेनुसार काश्त करने में भी अडचन पैदा करते हैं। जमीन सामलाती हैं। मौके पर पत्थरगढी कर बंट्वाडा भी किया जाना आवश्यक है। सायल अपने हिससे की जमीन को ,खाद मिट्टी डालकर उपजाउ बनाई हैं। तथा मेहनत से जमीन को कीमती बनाया हैं। तथा मेहनत से जमीन को कीमती बनाया हैं। लेकिन गैरसायलान सायल के हिस्से की जमीन को हडपना चाहते हैं व कब्जा काश्त में दखल डालते हैं। दिनांक 23/06/2010 को सायल बेरे पर पानी निकालने लगा तो कहा कि नहीं निकालने देगें। मौके पर भूमि व लगान का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जावें। सायल के नाम अलग से खाता खोला जाकर जमाबंदी में अलग से इन्द्राज किया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जावें व मौके पर पत्थरगढी कर अलग से मुइडै रोपे जावें व सायल से लगान व बिघोडी अलग से ली जावें। सायल का प्रथम दृष्टिया मजबूत मामला है। सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में हैं। उक्त वर्णित जमीन के 1/3 हिस्से का खातेदार, काश्तकार है तथा गैरसायलान सायल के काश्त व कृषि में रुकावट करते है तथा अपने हिस्से में इंजन स्वयं का लगा हुआ हैं। उससे पानी नहीं निकालने देते है जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि गैरसायलान सायल को अपने हिस्से में खेती नहीं करने दी व बेरे से पानी नहीं निकालने दिया, तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रुपयों के रुप में भी नहीं आका जा सकेगा। इस कारण गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। राजस्व अभिलेख में सायल 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं। सायल के कब्जे में गै0सा0 द्वारा दखल करते हैं। जिन्हें रोकने की प्रार्थना की हैं। गै0सा0 को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26/07/2010 को उक्त खसरा नम्बर की भूमि की वर्तमान मौके की यथास्थिति मुताबिक मौका कमीश्नर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार गै0सा0 को पाबन्द किया गया हैं। सायल के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन हैं और प्रथम दृष्टया मामला भी सायल के पक्ष में प्रतीत होता हैं। गै0सा0 को कब्जे काश्त में दखल करने एवं वर्तमान मौका कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार रोकना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-धनेरिया, तहसील-जैतारण में सायल व गैरसायलान की सामलाती भूमि खसरा नंबर 417 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 316 रकबा 0-05 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 318 रकबा 00-18 बीघा, खसरा नंबर 319 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 320 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 321 रकबा 3-00 बीघा, खसरा नंबर 421 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 423 रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 437 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में सायल के 1/3 हिस्से की जमीन में गै0सा0 को वर्तमान मौका की यथास्थिति मुताबिक मौका कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार एवं कब्जे काश्त में दखल करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner